निर्णय बइजलास शुभम चौधरी (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 24/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं....2025/91

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1. श्रीमती महिन्द्रा देवी पत्नी श्री शिवलाल नायक पता– ग्राम फलोदी बी.ओ. सवाई माधोपुर । अन्य पता– पट्टा नं0 30, बुक नं. 05 ग्राम फलौदी पंचायत समिति खण्डार तह0 व जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री शिवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ पता– ग्राम फलोदी बी.ओ. सवाई माधोपुर।
3. श्री रविन्द्र नायक पुत्र श्री शिवलाल पता– ग्राम फलोदी बी.ओ.सवाई माधोपुर।

.........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.02.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती महिन्द्रा देवी पत्नी श्री शिवलाल नायक, निवासी फलौदी, जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 30, खसरा नं. 2508 ग्राम फलौदी पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में बनवारी बैरवा का मकान चपेटवां, पश्चिम में 3 फिट गली प्रभू नायक का मकान, उत्तर में आम रास्ता मुख्य सडक व दक्षिण में कलावती नायक का मकान चपेटवां है, जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 30, खसरा नं. 2508 ग्राम फलौदी पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में बनवारी बैरवा का मकान चपेटवां, पश्चिम में 3 फिट गली प्रभू नायक का मकान, उत्तर में आम रास्ता मुख्य सडक व दक्षिण में कलावती नायक का मकान चपेटवां है, जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 18·3·2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner